

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 134/2025(प्रा0पत्र) शीर्षक ~~केसर सिंह~~ बनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
24/11/25	<p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेश हुआ। प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से रिपोर्ट ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 178 खसरा संख्या 92 किस्म गै0मू0 खड्डा स्थान पर किस्म गै0मू0आ0चा0 शुद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त शुद्धि प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की श्रेणी में उपयुक्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जि. राजसमन्द (राज.)</p>	